रोमा जैसे और भी बच्चों को बाल विवाह से बचाने के लिए उठाएं सही कदम

आप भी एक जिम्मेदार नागरिक बनें। अपने आस-पास हो रहे बाल विवाह को रोकें और अपने नज़दीकी निम्न जगहों में शिकायत दर्ज कराएं-

स्थानीय पुलिस स्टेशन

बाल विवाह निषेध अधिकारी

जिला बाल संरक्षण इकाई

चाइल्ड लाइन-1098

किसी भी आपातकालीन स्थिति में 100 नंबर पर फोन कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

Draft

जब वे पंख फैलाना चाहे, तो हम क्यों रोक लगाएं

बाल विवाह करा बच्चों के सपने ना रहने दें अधूरे,
पढ़ा-लिखा उनके सपनों को हो जाने दें पूरे।

unicef | for every child

रोमा के सपने, नहीं हुए अपने

रोमा की उम्र 15 साल हो गई है। अब वह 10 वीं कक्षा में गई है। उसका एक ही सपना है कि वह पढ़-लिख कर एक पुलिस अफसर बने। वह अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करती है इसीलिए तो वह अपनी कक्षा में हमेशा आगे रहती है। परन्तु उसके माता-पिता व परिवार वाले उसके सपनों को अनदेखा कर उसकी इसी उम्र में शादी करा देना चाहते हैं। रोमा के घर वालों का सोचना है कि लड़कियों को पढ़ाना-लिखाना ज्यादा जरुरी नहीं, बल्कि उनके लिए जरुरी है घर संभालना, चुल्हा-चौका करना, परिवार की जिम्मेदारी उठाना आदि। इसी सोच की वजह से उन्होंने रोमा की शादी कर देना ही उचित समझा।

रोमा के सपने रह गए अधूरे

बाल विवाह से संबंधित आंकड़े

भारत

हमारे देश में लड़कियों की 18 वर्ष से कम उम्र में शादी होने के आंकड़े 26.8 प्रतिशत और

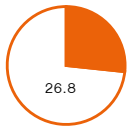

लड़कों की 21 वर्ष की उम्र में शादी होने की संख्या 20.3 प्रतिशत आंकी गई है।

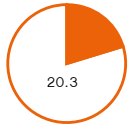

(स्त्रोतः एन.एफ.एच.एस.-4, 2015-16)

रोमा की शादी का अपराधी कौन?

बाल विवाह एक अपराध-

लड़की की 18 वर्ष व लड़के की 21 वर्ष से कम उम्र में शादी कराना दंडनीय अपराध है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बच्चे पर कम उम्र में शादी के लिए दबाव डालने वाला व्यक्ति दंड के योग्य है और इसके अलावा वे व्यक्ति भी दंड के भागी होते हैं जो-

- कम उम्र में शादी कराने के लिए प्रोत्साहन दे या उनकी किसी भी प्रकार से सहायता करता है।
- कम उम्र में हो रही शादी को रोकने में मदद नहीं करता है।
- हो रहे बाल विवाह में शामिल होता है।

अपराधी पाए जाने की सजा

कम उम्र में शादी से संबंधित अपराधी पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक जेल की सजा हो सकती है।

जेल के अलावा 1 लाख तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।